राजस्व लोक अदालत

न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल रेगर आर.ए.एस.

केम्प – रेवलियाखुर्द

प्रकरण संख्या – 43/2015 **दिनांक : 08–06–2018**

उनवान

1. जीतू पिता रूपा रेगर वयस्क निवासी रेवलियाखुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तोडगढ
2. भगवान पिता रूपा रेगर वयस्क निवासी रेवलियाखुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तोडगढ
3. लखमा पिता रूपा वयस्क निवासी रेवलियाखुर्द तहसील भदेसर जिला चित्तोडगढ

....................वादीगण

।। बनाम ।।

1. श्री सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. श्री सरकार जरिये जिला कलेक्टर चित्तौडगढ

..........प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955
बाबत खातेदारी घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित–श्री प्रवीण जोशी वकील वादी
पैरोकार सरकार नायब तहसील भादसोडा

हस्तगत वाद के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 एवं खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि –

1. यह कि वादीगण की सहखातेदारी की कृषि आराजीयात मौजा रेवलियाखुर्द पटवार हल्का रेवलियाखुर्द की साविक खाता संख्या 115 में दर्ज आराजी नम्बर 1034 रकबा 5 बीघा स्थित है जिस पर वादीगण काबिज होकर बहैसियत खातेदार उपयोग उपभोग करते चले आ रहें थे ।
2. यह कि मौजा रेवलियाखुर्द का वर्ष 2010–11 में भू प्रबन्ध किया गया दौराने भू प्रबन्ध वादीगण की खातेदारी में दर्ज आराजी नम्बर 1034/8 रकबा 5 बीघा के नवीन खाता संख्या 119 में अंकित आराजी नमबर 1438/1083 रकबा 0.19 , आराजी नम्बर 1466 रकबा 0.32 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर दर्ज किया गया परन्तु उक्त आराजीयात को 1.08 हैक्टेयर दर्ज करना था आराजीयात लेकिन भू प्रबन्ध अधिकारियों की लापरवाही से वादीगण का रकबा 1.08 हैक्टेयर के मुकाबले 0.51 हैक्टैयर ही दर्ज कर 'शेष आरीयात को बिलानाम सरकार काबिल काश्त दर्ज [illegible] अपनी सम्पूर्ण रकबे पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ र[illegible] जिससे वादीगण की ओर घोषणात्मक डिकी हेतु पेश है ।
3. यह कि वादीगण ने विवादि आराजीयात [illegible] अपने पिता एवं [illegible] से विरासतन प्राप्त की एवं तभी से ही उक्त आराजीयात का [illegible]योग उपभोग करता च[illegible] रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 11:40:50 IST
Reason: SelfAttested

8/6/18
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

है लेकिन भू प्रबन्ध अधिकारीयों की लापरवाही से उक्त खातेदारी आराजीयात के रकबे को 1.08 हैक्टेयर के मुकाबले 0.51 हैक्टैयर ही दर्ज कर भारी क्षति पहुंचाई है इसलिए उक्त आराजीयात की कमी रकबे की पूर्ती करने हेतु इन्द्राज दुरूस्ती का यह वाद पत्र पेश है ।

4. यह कि उक्त वादीगण की आराजीयात दौराने सेटलमेन्ट विवादित आराजियात वादीगण के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी मौके पर वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है फिर भी भू.प्रबंध अधिकारीयो ने मौके पर रकबे की कमी करते हुए बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दी है। जिसकी आड में प्रतिवादीगण वादी को विवादित आराजियात से बेदखल करना चाहते है व विवादित आराजीयात को अन्य को आवंटन करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे ना करावे ना ही किसी अन्य को उक्त भूमी आवंटित करे इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किये जाने हेतु यह वाद पत्र पैश है।

5. यह कि उपरोक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वंय करं ना किसी अन्य से करावे इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है ।

6. यह कि प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण है जिनके विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने पुर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी के खातेदारी की आराजीयात को बिलानाम कर बेदखल करने पर आमादा हो रहे हे एवंकिसी को आंटित नही कर दे ऐसी स्थिति में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का हो जाने से वाद पत्र बिना नोटिस सर्व किये ही पेश किया जा रहा है जिसके लिये धारा 80(2) जा.दी. का आवेदन मय सपथ पत्र के पैश है।

7. यह कि बिनाय मुखास्मात वाद कारण दिनांक 17.6.2015 को विवादित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल करने की रिपोर्ट करने से पैदा होकर निरन्तर जारी है जिससे वाद पत्र वादी अन्दर मियाद पेश किया है जो स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । विपक्षीगण की ओर पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भादसोडा द्वारा मौका एवं राजस्व रेकार्ड के आधार पर जवाब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि – वाद के बिन्दु संख्या 1 लगायत 11 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है । वादीगणों के साबिक रेकार्ड में आराजी नमबर 1034/8 रकबा 5 बीघा भूमि दर्ज थी नवीन रेकार्ड में मिलान क्षेत्रफल से नवीन आराजी नमबर 1466 रकबा 0.32 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 1468/1803 रकबा 0.19 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.51 हैक्टैयर भूमि दर्ज की गई है वादीगणों के खाते में 0.57 हैक्टेयर भूमि की कमी हुयी है । मिलान क्षेत्रफल से साबिक आराजी नम्बर 1034/8 के आर नम्बर नहीं बनाये गये है मूल साबिक आराजी नम्बर 1034 मी. से नये आराजी नम्बर 1454, 1455, 1456 ,1457, 1467, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475 बनाये गये है वादीगणों एवं भाईयों का कब्जा आराजी नम्बर 1467 रकबा 0.39 हैक्टेयर पर है ।

वाद के समर्थन में वादी की ओर से नक्शा ट्रेस मोजा रेवलियाखुर्द जमाबन्दी खाता संख्या 115 मौजा रेवलियाखुर्द संवत् 2065–2068 प्रदर्श–1 , नक्शा ट्रेस–प्रदर्श–2 , जमाबन्दी खाता संख्या 115 मौजा रेवलियाखुर्द संवत् 2068 प्रदर्श–3, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–4 मिलान क्षेत्र प्रदर्श–5 एवं प्रदर्श–6 एवं [illegible] लखमा पिता रूपा रेगर ,जीतू पिता रूपा रेगर निवासी रेवलियाखुर्द भगवान पिता रूपा [illegible] निवासी रेवलियाखुर्द के प्रस्तुत किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 11:40:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

लायक अभिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई जिन्होनें वादवर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी डिकी किये जाने की इस्तदुआ की ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार भादसोडा की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अनुसार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किये गये मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नम्बर 1034 मी से वर्तमान आ0न0 1454, 1455, 1456 ,1457, 1467, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475 बनाये बनना प्रमाणित है वादीगण के मूल आराजी नम्बर 1034/8 रकबा 05 बीघा दर्ज रेकार्ड किन्तु भू प्रबन्ध से वादीगण की खातेदारी में मूल रकबा 1.08 हैक्टैयर के मुकाबले 0.51 हेक्टैयर ही दर्ज की गई जिससे वादी की खातेदारी में 0.57 हैक्टैयर भूमि कम कर दी गई उपरोक्त साबिक नम्बर अनुसार कायम नम्बरान में से वादीगण का आराजी नम्बर 1467 रकबा 0.39 हैक्टेयर पर कब्जा होना पैरोकार सरकार द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी अंकित किया गया है अर्थात मौके की संरचना एवं उपलब्ध रकबे के आधार पर वादीगण के खातेदारी में कमी रकबे 0.57 हैक्टेयर के मुकाबले 0.39 हैक्टेयर भूमि का ही अनुतोष प्रदान किया जा सकता है । अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित मानते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिकी किया जाता है कि मौजा रेवलियाखुर्द पटवार हल्का रेवलियाखुर्द में वादीगण के साबिक आराजी नम्बर 1034/8 रकबा 05 बीघा के मुकाबले भू प्रबन्ध से कायम नवीन आ0न0 1466 रकबा 0.32 हैक्टेयर एवं आ0न0 1468/1803 रकबा 0.19 किता–2 कुल रकबा 0.51 हेक्टेयर भूमि के भू प्रबन्ध से वादीगण के खातेदारी से कम किये गये क्षेत्रफल का समायोजन/क्षतिपूर्ति वादीगण के कब्जे की बिलानाम आराजी नम्बर 1467 रकबा 0.39 हैक्टैयर भूमि वादीगण के खातेदारी की घोषित की जाती है तथा राजस्व रेकार्ड में वादीगण के खातेदारी हक से पुनः दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है ।इसी आशय का पर्चा डिकी अलग से मुर्तिब किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित करवाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.31 11:40:50 IST
Reason: SelfAttested

3/6/18

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner